रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 24 जनवरी, 1992/4 माघ, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

आदेश

शिमला-2, 9 जनवरी, 1992

संख्या एग्र एफ, 7(2)86-3-लूज.—भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) द्वारा जारी आदेश संख्या 1-12/91-उर्वरक विधि, दिनांक 22 नवम्बर, 1991 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (असाधारण) में आम जनता की सूचना तथा उन के हित में प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
कृषि उत्पादन आयुक्त ।

संख्या 1-12/91-उर्वरक विधि
भारत सरकार
कृषि मन्त्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
कृषि भवन, नई दिल्ली
तारीख 22 नवम्बर, 1991

आदेश

का० आ० 795(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए

निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियन्त्रण) (चौथा संशोधन) आदेश, 1991 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खण्ड 2 में,

(1) उप-खंड (च), में "या खुदरा" शब्दों के पश्चात् "या औद्योगिक उपयोग का" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(2) उप-खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ठठ) "औद्योगिक व्यौहारी" से ऐसा व्यौहारी अभिप्रेत है, जो औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उर्वरक बेचता है;

(ठठट) "औद्योगिक प्रयोजन" से भूमि को उर्वरक बनाने और फसल की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन अभिप्रेत है ; "

(3) उप-खंड (त) में, "कृषकों/बागवानों को" शब्दों के स्थान पर "कृषि उपयोग जैसे भूमि की उर्वरकता और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषकों/बागानों को" शब्द रखे जाएंगे ;

(4) उप-खंड (ब) में, "खुदरा से" शब्दों से पहले "कृषि उपयोग जैसे भूमि को उर्वरक बनाने तथा फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए" शब्द जोड़े जाएंगे ;

3. उक्त आदेश के खंड 7 में "थोक व्यौहारी और खुदरा व्यौहारी" शब्दों के स्थान पर "थोक व्यौहारी, खुदरा व्यौहारी और औद्योगिक व्यौहारी" शब्द रखे जायेंगे ।

4. उक्त आदेश के खंड 8 में,—

(1) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को" शब्दों के पश्चात "या जैसी भी स्थिति हो, औद्योगिक उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत डाक से नियन्त्रक को" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(2) दूसर परन्तुक में, "थोक और खुदरा में विक्रय करने के लिए" शब्दों के पश्चात् "और राज्य सरकार, विनिर्माता तथा पूल हेन्डलिंग अभिकरण के मामले में औद्योगिक उपयोग के लिए उर्वरकों का विक्रय करने के लिए भी" शब्द जोड़े जाएंगे ।

(3) तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात्:—"परन्तु यह भी कि औद्योगिक व्यौहारी के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए, केवल राज्य सरकार या विनिर्माता या पूल हैंडलिंग अभिकरण से प्राप्त स्रोत का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।"

5. उक्त आदेश के खंड 9 में,—

(1) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्द के पश्चात् "या जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(2) परन्तुक के पैरा (ङ) के पश्चात् "अपूर्ण है" शब्दों के पश्चात् "या" शब्द जोड़ा जाएगा;

(3) परन्तुक के पैरा (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(च) यदि वह औद्योगिकी व्यौहारी के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है और सिवाय इसके कि यदि वह विनिर्माता या पूल हैन्डलिंग अभिकरण हो और उसके पास खुदरा व्यौहारी थोक व्यौहारी या दोनों के लिए या जैसी भी स्थिति हो, इसके विपरीत रजिस्ट्रीकरण का विधिमान्य प्रमाण-पत्र हो ।"

6. उक्त आदेश के खंड 10 में, "खंड 9 के अधीन प्रदत्त" शब्दों के पश्चात् "या, जैसी भी स्थिति हो, खंड 11 के अधीन नवीकृत" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त आदेश के खंड 11 में,--

(1) उप-खंड (1) में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या, जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(2) उप-खंड (2) में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या, जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(3) उप-खंड (3) में "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् "या, जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(4) उप-खंड (4) में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् या, जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त आदेश के खंड 25 में,--

(1) विद्यमान परन्तुक को उप-खंड "1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ;

(2) इस प्रकार संख्यांकित उप-खंड (1) के तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:--

"(2) उप-खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, औद्योगिक प्रयोजनार्थ उर्वरक के उपयोग के लिए किसी पूर्व-अनुज्ञा की आवश्यकता तब नहीं होगी जब ऐसे प्रयोजन के लिए उर्वरक, खंड 9 के अधीन दिए गए विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करने वाले औद्योगिक व्यौहारी से खरीदा गया हो ।

(3) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास औद्योगिक व्यौहारी का विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हो, जब तक कि ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार या विनिर्माता या पूल हैन्डलिंग अभिकरण न हो, कृषि प्रयोजनों के लिए उर्वरक को विक्रय करने का कारबार नहीं करेगा, जिसके अन्तर्गत थोक व्यौहारी या खुदरा व्यौहारी भी है । परन्तु यदि, राज्य सरकार, विनिर्माता या पूल हैन्डलिंग अभिकरण के पास औद्योगिक उपयोग के लिए उर्वरकों के विक्रय और कृषि उपयोग के लिए उर्वरकों के विक्रय, थोक या खुदरा अथवा दोनों प्रकार के विक्रय के लिए एक विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र है तो ऐसी स्थिति में, वे एक ही परिसर में औद्योगिक उपयोग और कृषि उपयोग दोनों के लिए उर्वरकों को विक्रय करने का कारबार नहीं करेंगे ।"

9. उपरोक्त आदेश के खंड 26 में "इस आदेश के प्रयोजन के लिए" शब्द के पश्चात् "औद्योगिक व्यौहारी के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के मंजूरी या नवीकरण के सिवाय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

10. उक्त आदेश के खंड 31 में,—

(1) उप-खंड (1) में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(2) उप-खंड (2) में,—

(1) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(2) पहले परन्तुक में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(3) दूसरे परन्तुक में, "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(3) उप-खंड (3) में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(4) उप खड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"(4) जहां कि उल्लंघन करने वाला अभिकथित व्यक्ति औद्योगिक व्यौहारी है, वहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक के विरुद्ध उप-खंड (1) और (2) क अधीन कार्यवाही भी कर सकेगा :

परन्तु जहां ऐसा प्रमाण-पत्र निलंबित या रद्द किया जाता है वहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, निलंबन या रद्दकरण के ऐसे आदेश जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उस व्यक्ति को जिसका प्रमाण-पत्र निलम्बित या रद्द किया गया है, के साथ-साथ, नियन्त्रक को भी, किए गए उल्लंघन की प्रकृति के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट और ऐसे निलंबन या जैसी भी स्थिति हो, रद्दकरण के कारणों का एक संक्षिप्त कथन प्रस्तुत करेगा । परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित निलंबन आदेश की दशा में, नियंत्रक, विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निलंबन आदेश को प्रतिसंहरित या उसको रद्द करने वाला अन्तिम आदेश पारित करेगा जिसके न हो सकने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया अन्तरिम निलंबन आदेश, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिसंहरित किया गया माना जाएगा, जो ऐसी अग्रिम कार्यवाही के अधीन होगा जिसे नियन्त्रक, उप-खंड (1) के अधीन प्रमाण-पत्र धारक के विरुद्ध कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया रद्दकरण आदेश उस समय तक इस प्रकार प्रभावी रहेगा मानो कि वह नियन्त्रक द्वारा पारित किया गया हो जब तक कि नियन्त्रक, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि आवश्यक समझे, उस व्यक्ति को सुनवाई का एक और अवसर देने के पश्चात्, रद्दकरण आदेश को प्रतिसंहरण करने या उसकी पुष्टि करने के सम्बन्ध में उस पर अन्तिम आदेश पारित नहीं करता ।"

11. उक्त आदेश के खंड 32 में "कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो" शब्दों के स्थान पर "कोई भी ऐसा व्यक्ति सिवाय औद्योगिक व्यौहारी या जैसी भी स्थिति हो, औद्योगिक व्यौहारी के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति, जो" शब्द रख जाएंगे ।

12. उक्त आदेश के खंड 33 में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

13. उक्त आदेश के खंड 34 में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या जैसी भी स्थिति हो, नियन्त्रक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

14. उक्त आदेश के खंड 35 में उप-खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(3) जहां राज्य सरकार, विनिर्माता या पूल हैन्डलिंग अभिकरण के पास थोक या खुदरा अथवा दोनों में उर्वरकों के विक्रय के लिए तथा औद्योगिक उपयोग हेतु विक्रय के लिए भी रजिस्ट्रीकरण का विधिमान्य प्रमाण-पत्र है, वहां उनके द्वारा की गई इन दो या तीन प्रकार की बिक्री के लिए अलग अलग लेखा खाते बनाये जायेंगे ।"

15. उक्त आदेश के खंड 36 में उप-खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(4) औद्योगिक व्यौहारी के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के अनुदान संशोधन, नवीकरण या इस की द्वितीय प्रतिलिपि के लिए संदेय की जाने वाली फीस और वह प्राधिकारी जिसको और वह रीति जिसमें फीस संदत्त की जाएगी, ऐसे होंगे जो समय-समय पर नियन्त्रक द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।"

16. उक्त आदेश के प्ररूप "क" में--

(1) शीर्षक में "खुदरा" शब्द के पश्चात् "या औद्योगिक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) आवेदन भेजे जाने वाले पते में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "/नियन्त्रक (यदि आवेदन औद्योगिक व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए है)" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(3) क्रम संख्या 4 में, "खुदरा" शब्द के पश्चात् "या औद्योगिक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(4) क्रम संख्या 5 के नीचे मद (III) में "खुदरा" शब्द के पश्चात् "या औद्योगिक व्यौहारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(5) क्रम संख्या 9 में "दी है" शब्दों के पश्चात् "या में पंजीकरण फीस हेतु.....
के पक्ष में.....पर देय.....बैंक
पर आहरित.....रुपये का मांगदेय ड्राफ्ट संख्या.....
दिनांक..... ... संलग्न कर रहा हूं (कृपया जो लागू न हो उसे काट दें) " शब्द और अक्षर जोड़े जाएंगे;

(6) क्रम संख्या 10 घोषणा में मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:--

"(ग) मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे पास औद्योगिक व्यौहारी के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र नहीं है और यह कि मैं/हम औद्योगिक उपयोग के लिए उर्वरकों का विक्रय नहीं करूंगा/करेंगे ।

(राज्य सरकार, विनिर्माता या पूल हैन्डलिंग अभिकरण के सिवाय थोक व्यौहारी या खुदरा व्यौहारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के मामले में लागू) ।

(घ) मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे पास थोक व्यौहारी अथवा खुदरा व्यौहारी के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नहीं है और यह कि मैं/हम कृषि उपयोग के लिए उर्वरकों का विक्रय नहीं करूंगा/करेंगे । (राज्य सरकार, विनिर्माता या पूल हैन्डलिंग अभिकरण के सिवाय औद्योगिक व्यौहारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के मामले में लागू ।)"

(6) अन्तिम पैरा में, आवेदन की अभिस्वीकृति के लिए, "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "/नियन्त्रक" शब्द जोड़ा जाएगा ।

17. उक्त आदेश के प्ररूप "ख" में—

(1) शीर्षक में, "खुदरा व्यौहारी" शब्दों के पश्चात् "/औद्योगिक व्यौहारी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(2) पहले पैरा में "थोक" शब्द के पश्चात्/"औद्योगिक उपयोग के लिए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के प्राधिकारी में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पहले "नियन्त्रक/" शब्द जोड़ा जाएगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निबन्धन और शर्तों में,—

(क) क्रम संख्या 5 में, "व्यौहारी" शब्द के स्थान पर, "थोक व्यौहारी/खुदरा व्यौहारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम संख्या 5 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उपबंध जोड़े जाएंगे, अर्थात्—

"6. औद्योगिक व्यौहारी, केन्द्रीय सरकार को 15 अप्रैल तक पूर्ववर्ती वर्ष की रिपोर्ट भेजेगा जिसमें स्रोतवार क्रय/विक्रय मूल्यों के साथ रिपोर्ट किए जा रहे वर्ष की पहली अप्रैल का प्रारम्भिक स्टाक, वर्ष के दौरान स्रोत वार प्राप्ति, बिक्री और उर्वरकों के अन्तिम स्टाक दर्शित किए जाएंगे ।

(7) थोक या खुदरा व्यौहारी सिवाय उनके जहां ऐसा व्यौहारी राज्य सरकार, विनिर्माता या पूल हैंडलिंग अभिकरण है, औद्योगिक व्यौहारी के लिए और जैसी भी स्थिति हो, औद्योगिक व्यौहारी कृषि उपयोग के लिए उर्वरकों का विक्रय, नहीं करेगा " ।

(5) टिप्पण में क्रम संख्यांक 3 में,

(क) दूसरी पंक्ति में "थोक दोनों में" शब्दों के पश्चात् "और जैसी भी स्थिति हो, राज्य सरकार, विनिर्माता या पूल हैंडलिंग अभिकरण औद्योगिक उपयोग के लिए भी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "कारबार" शब्द के पश्चात् "और औद्योगिक उपयोग हेतु विक्रय के लिए" शब्द जोड़े जाएंगे ।

18. उक्त आदेश के प्ररूप "ग" में:—

(1) शीर्षक में "थोक" शब्द के पश्चात् "औद्योगिक उपयोग के लिए" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(2) आवेदन भेजे जाने वाले पते में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात्"/नियन्त्रक (यदि आवेदन औद्योगिक व्यौहारियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए है" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(3) पहले पैरा में, "थोक" शब्द के पश्चात् "औद्योगिक उपयोग के लिए" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

(4) क्रम संख्यांक 3 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उपबंध जोड़ा जाएगा ; अर्थात्:—

"4. मैंने........................नवीकरण फीस के.... ....रुपय चालान संख्या..........................तारीख.................................. द्वारा............... ....खजाना/बैंक में जमा कर दिये हैं या मैं नवीकरण फीस हेतु ....के पक्ष में..............................पर देय........ बैंक पर आहरित .... रुपय का मांगदेय ड्राफ्ट संख्या.............. दिनांक.........................संलग्न कर रहा हूं । (कृपया जो लागू नहीं हो उसे काट दें)"

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रमाण-पत्र में "खुदरा/थोक में" शब्दों के पश्चात् "औद्योगिक उपयोग के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्राधिकारी में "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के पूर्व "/नियन्त्रक" शब्द जोड़ा जाएगा ।

हस्ताक्षरित/-
(रवि मोहन सेठी),
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

टिप्पणी: उर्वरक (नियन्त्रण आदेश, 1985, सां, का.नि. 758(अ) तारीख 25 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:—

1.	सा0 का0 नि0	201(अ)	तारीख	14 फरवरी, 1986
2.	सा0 का0 नि0	508(अ)	तारीख	19 मार्च, 1986
3.	सा0 का0 नि0	1160(अ)	तारीख	21 अक्तूबर, 1986
4.	का0 आ0	822(अ)	तारीख	14 सितम्बर, 1987
5.	का0 आ0	1079(अ)	तारीख	11 दिसम्बर, 1987
6.	का0 आ0	252(अ)	तारीख	11 मार्च, 1988
7.	का0 आ0	724(अ)	तारीख	28 जुलाई, 1988
8.	का0 आ0	725(अ)	तारीख	28 जुलाई, 1988
9.	का0 आ0	940(अ)	तारीख	11 अक्तूबर, 1988
10.	का0 आ0	498(अ)	तारीख	29 जून, 1989
11.	का0 आ0	561(अ)	तारीख	27 जुलाई, 1989
12.	का0 आ0	673(अ)	तारीख	25 अगस्त, 1989
13.	का0 आ0	738(अ)	तारीख	15 सितम्बर, 1989
14.	का0 आ0	140(अ)	तारीख	12 फरवरी, 1990
15.	का0 आ0	271(अ)	तारीख	29 मार्च, 1990
16.	का0 आ0	403(अ)	तारीख	23 मई, 1990
17.	का0 आ0	675(अ)	तारीख	31 अगस्त, 1990
18.	का0 आ0	261(अ)	तारीख	16 अप्रैल, 1991
19.	का0 आ0	444(अ)	तारीख	2 जुलाई, 1991
20.	का0 आ0	530(अ)	तारीख	16 अगस्त, 1991

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित ।